

आरक्षण : अधिकार, आवश्यकता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन



आरती कुमारी

भारत में आरक्षण का प्रश्न आज केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं रह गया है। यह संविधान, सामाजिक न्याय, समान अवसर, प्रतिनिधित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है। आरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को संविधान द्वारा दिया गया संरक्षण और अवसर है। दूसरी ओर यह सबाली लगातार प्रश्न उठ रहा है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था? क्या यह व्यवस्थित स्थायी रूप से किसी वर्ग को विशेष अवसर देने के लिए बनाई गई थी या इसका लक्ष्य उन समुदायों और व्यक्तियों को आगे लाना था, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से लंबे समय तक पीछे रहे? इस प्रश्न का उत्तर भावनाओं और राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर तलाशना होगा। भारत का सामाजिक इतिहास

असमानताओं से भरा रहा है। समाज के अनेक वर्गों को लंबे समय तक शिक्षा, सार्वजनिक संस्थानों, प्रशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसरों से दूर रखा गया। संविधान निर्माताओं ने इस ऐतिहासिक वास्तविकता को समझते हुए समानता के साथ-साथ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य केवल कुछ लोगों को सुविधा देना नहीं था, बल्कि ऐसी सामाजिक स्थिति तैयार करना था जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय भी राष्ट्र की मुख्यधारा में बराबरी से भागीदारी कर सकें। यहीं से आरक्षण की मूल भावना सामने आती है। समानता का अर्थ केवल सभी को एक जैसा अवसर देना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा, संसाधन और सामाजिक समर्थन की कमी है, तो उसे केवल प्रतियोगिता में खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं होगा। वास्तविक समानता के लिए उन बाधाओं को दूर करना भी आवश्यक है, जो निज के कारण वह पीछे रह गया है। लेकिन किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह आरक्षण की व्यवस्था पर भी समय-समय पर विचार होना चाहिए। समीक्षा का अर्थ अधिकांश छीनना नहीं है। समीक्षा का अर्थ यह देखना है कि जिस उद्देश्य से व्यवस्था बनाई गई थी, वह उद्देश्य किस-किसी हद तक पूरा हो रहा है। यदि समाज की परिस्थितियाँ बदली हैं, तो कुछ वर्गों के भीतर बड़ी आर्थिक और शैक्षिक प्रगति हुई है और आरक्षण को दूर करने की नीति के प्रभाव का

पूँत्यौकन लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में किसे मिल रहा है। आरक्षित वर्गों के भीतर भी समाजिक और आर्थिक असमानता मौजूद है। एक ओर ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज भी बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक संसाधन नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे परिवार भी हैं जिनमें कई पीढ़ियों में आर्थिक और सामाजिक मजबूती हासिल कर ली है। इसलिए सामाजिक-न्याय की नीतियों पर चर्चा करते समय इस आंतरिक असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। यह प्रश्न व्यवस्था की प्रभावशीलता से जुड़ा है। यदि लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को आगे लाना है, तो यह देखना आवश्यक होगा कि क्या सबसे कमजोर व्यक्ति तक अवसर पहुँच रहा है या लाभ का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत सक्षम परिवारों तक सीमित हो रहा है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों की समस्याओं को भी नजरअंदाज करना उचित नहीं है। गरीब किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, बेरोजगार युवा या निम्न आय वाला परिवार यदि आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो उसकी कठिनाइयाँ केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाती कि वह आरक्षित श्रेणी में नहीं आता। गरीबी की अपनी कोई जाति नहीं होती। अक्सरों की कमी का

देद भी किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। हालाँकि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर समझ लिया जाए। भारत में सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना का अपना अलग महत्व है। इसलिए सामाजिक न्याय की नीति बनाने समय आर्थिक-सामाजिक पिछड़ापन, जातीय स्थिति, शिक्षा, क्षेत्रीय असमानता और अवसरों की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलुओं को संतुलित दृष्टि से देखना होगा। आरक्षण को लेकर एक दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कई बार इसकी बहस योग्यता के प्रश्न में बदल जाती है। यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। आरक्षण के माध्यम से अवसर प्राप्त करने वाले असंख्य लोगों ने राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासनीय, न्याय और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन केवल उसकी सामाजिक श्रेणी के आधार पर करना अन्यायपूर्ण है। सामाजिक यह नहीं होना चाहिए कि आरक्षण से आया व्यक्ति योग्य है या नहीं। स्वावल यह होना चाहिए कि उसने ऐसी व्यवस्था कैसे बनाए जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित व्यक्ति को अवसर भी मिले और शिक्षा क्षमता प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी क्षमता को अधिकतम स्तर तक विकसित भी किया जाए। सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सही नीति दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है। आज भारत जिस वैश्विक प्रतिस्पर्धा

के दौर से गुजर रहा है, उसमें प्रतिभा का अधिकतम उपयोग देश की आवश्यकता है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, अनुसंधान, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक उद्योगों में देश को सक्षम युवाओं की जरूरत है। प्रतिभा किसी जाति या वर्ग की संपत्ति नहीं है। इसलिए अवसरों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी प्रतिभाशाली युवा को संसाधनों के अभाव में पीछे न रहना पड़े और किसी समाजवादी रूप से वंचित व्यक्ति को संसाधनों की कमी के कारण सेवाजिवाजी से बाहर न होना पड़े। इसका सबसे प्रभावी समाधान केवल आरक्षण नहीं है। यदि हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि अपने वाली पहियों में आरक्षण की आवश्यकता धीरे-धीरे कम हो जाए। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार, ग्रामीण बच्चों के लिए बेहतर शिक्षण संसाधन, ग्रामीण युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुविधा, उच्च शिक्षा को सक्षम करने के लिए, कौशल विकास और पर्याप्त रोजगार अवसर—ये आधुनिक समाजिक न्याय के वास्तविक आधार हैं। आज भी देश के कई हिस्सों में बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। गांवों और छोटे शहरों के अनेक प्रतिभाशाली युवा केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके परिवार महंगी कोचिंग, बेहतर स्कूल या उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। यदि राज्य इन असमानताओं को दूर करने में सक्षम होता है तो समाजिक न्याय

का उद्देश्य कहीं अधिक प्रभावी ढंग पर पूरा होगा। आरक्षण की समीक्षा किसी भी मांग को भी तुरंत किसी समुदाय के विरोध के रूप में देखना उचित नहीं है। लोकतंत्र में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा होती है, सामाजिक नीति की समीक्षा होती है, कर्ज नीतियों की समीक्षा होती है, कर नीतियों का भी सम्य-सम्य पर अध्ययन होना चाहिए। लेकिन यह समीक्षा संविधान, कानून, न्यायपालिका के निर्णयों, सामाजिक आंकड़ों और विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन कि राजनीतिक लाभ के लिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। संसद और विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था का उद्देश्य उन समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है जो लंबे समय तक सत्ता और निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहे। यह व्यवस्था लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति का अंगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि राजनीतिक अवसर केवल स्थापित परिवारों या सीमित समूहों तक न रहें। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए नेतृत्व को अवसर मिले। किसी भी समुदाय परिवारों का राजनीतिक प्रभुत्व के भीतर केवल कुछ प्रभावशाली प्रतिनिधित्व की पूरी स्तरवरी नहीं हो सकती। आम जनता को राजनीतिक अवसर देना चाहिए। युवा और उनकी स्तर पर राजनीतिक अवसर देना चाहिए।

अवसर देना ही लोकतंत्र को अधिक व्यापक बनाएगा।

अंधकारण पर रहस्य करते समय आंदोलन और विरोध के अधिकार को भी समझना जरूरी है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और संगठन को अपनी मांग रखने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार है। लेकिन हिंस्र विद्रोह, अराजकता, अराजकता किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। कानून का शासन सबके लिए समान होना चाहिए। समाजिक न्याय की मांग भी संस्थान के न्याय की ही मजबूत होती है। भारत किसी एक जाति या वर्ग का देश नहीं है। यह दलित का भी है, आदिवासी का भी, पिछड़े वर्ग का भी, सामान्य वर्ग के गरीब नागरिक का भी और हर उस नागरिक का भी जो इस देश की व्यवस्था में समान भविष्य तलाश रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत आज एक वाकाली पण्डितों का देश है। आज जो नीतियां बनाई जाएंगी, उनका असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिन्हें स्कूल की नहीं। इसलिये हमें यह तय करना होगा कि हम उनैसी विरासत देना चाहते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था जिसमें ज्ञातीय पहचान लगातार अवसरों का आधार बनी रहे, या ऐसी व्यवस्था जिसमें ऐतिहासिक अन्याय की भरपूर के लिए आवश्यक संरक्षण हो, लेकिन अंतिम लक्ष्य समान अवसरों वाला समाज बनाना हो ? संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की

पालत कही गई है। इन चारों मूल्यों का संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की अविनाशक शक्ति है। न्याय का अर्थ समन्वय के शक्ति का अर्थ अन्याय न होना है। समाज के अर्थ हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिलना है। सम्वतंत्रता का अर्थ अपने जीवन का आरास्ता चुनने की क्षमता है और बंधुता का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारा बनाए रखना है। इसलिए आरक्षण की हदस को समाज को बांटने वाली राजनीति से बचाव नहीं बल्कि न्याय भावनात्मक आधार पर होना चाहिए। समाजिक न्याय की नीतियों का नियमित न्यायकन होना चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि जो नीतियाँ सबसे पीछे हैं, वे वास्तव में लोकनि सहायता प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही यह भी समझना होगा कि आरक्षण गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की हर समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए व्यापक समाजिक-आर्थिक नीति की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और समाजिक सुरक्षा को मजबूत किए बिना केवल आरक्षण के सहारे समानता का स्वप्न नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आरक्षण को वोट बैंक की राजनीति का उपकरण बनने से कैसे रोका जाए। किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी समीकरण चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

वंदेमातरम - राष्ट्र भावना, इतिहास और सियासत



जितेन्द्र कुमार सिन्हा

पटना : मानवीय जीवन में जब अहंकार को हकीकत से बड़ा बना दिया जाता है, सत्य सामने दिखाई देने के बावजूद लोभ या स्वार्थ के कारण असत्य का साथ दिया जाता है और पूर्वजों की कृतियों को क्षुद्र राजनीतिक या व्यक्तित्व विता की अग्नि में स्वाहा किया जाता है, तब दुर्भाग्य को आमंत्रण मिलता है। धर्मग्रंथों और भारतीय चिंतन परंपरा का मूल संदेश भी यही है कि सत्य, मर्यादा और कर्तव्य को क्षणिक स्वार्थ से ऊपर रखना चाहिए। आज भारतीय राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उसमें यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्र भावना जैसे विषय या राजनीतिक दलों की विचारधारात्मक प्रतियर्था के केंद्र में आते जा रहे

है। वंदेमातरम इसका सबसे प्रमुख उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति भाव जगाना, वही आज राजनैतिक बहस का केंद्र बन गया है। वंदेमातरम का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रचयिता ने भारत की धरती को मां के स्वरूप में देखने और उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की भावना को व्यापक बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन में यह शक्ति अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। एसएलएन वंदेमातरम को केवल शब्दों और धुनों में सीमित कर देने उसके विरोधियों की स्मृतियाँ, बलिदान की कहानियाँ और देश के प्रति भावनात्मक समर्पण जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान तभी साध्य होता है, जब उसे राजनैतिक साधन के बजाय राष्ट्रिय एकता के सूत्र के रूप में देखा जाए। वर्तमान राजनैतिक विवाद गंधी प्रश्न यही है कि क्या राष्ट्रवाद किसी पार्टी के कार्यालय से पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें उन लोगों पर्याप्त की संस्कृति चेतना,

तंत्रता आंदोलन, संविधान और देश के करोड़ों नागरिकों के आकांक्षाओं में हैं। भारतीय जनता पाटी में अपने राजनीतिक विकास के साथ राष्ट्रवाद और समानता के साथ सांस्कृतिक चेतना को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया। दूसरी ओर कांग्रेस की राजनीति का स्वर समय के साथ बदलता रहा है। कभी उसका राष्ट्रवादी स्वर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख आधार था, तो बाद के दशकों में उसने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और विविधता को अपनी राजनीतिक पहचान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सामने रखा। यह राजनीतिक दृष्टिकोणों का अंतर ही समझता है, लेकिन राष्ट्र को किसी दल की वैचारिक सीमा में बांध देना उचित नहीं होगा। वंदेमातरम को उलट कर कांग्रेस की ओर से ऐतिहासिक संसर्प, 1937 के निर्णय और समवायिता का तर्क सामने आता है। इतिहास को समझने के लिए सदैव संदर्भों की चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास का कोई पुराना निर्णय आज की राष्ट्रीय भावना के लिए अंतिम और अपरिवर्तनीय राजनीतिक हथियार बन सकता है ? 1937 में परिस्थितियाँ अलग थीं। स्वतंत्रता आंदोलन अपने निर्णायक चरण में था। विभिन्न समुदायों और

राजनीतिक धाराओं को साथ लेकर चलेने की आवश्यकता थी। उस समय मध्य प्रदेश के कुछ अर्थी को उसका अपना ऐतिहासिक संदर्भ था। आज परिस्थितियाँ अलग हैं। भारत एक स्वतंत्र, संयुक्त और लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके पास अपना संविधान है, संसद है और लोकतांत्रिक संस्थाएँ हैं, इसलिए इतिहास को समझना चाहिए, लेकिन इतिहास को वर्तमान राजनीति का स्थायी हथियार बनाना एकतन्त्रा उचित है, यह प्रश्न भी का अधिकार ही नहीं, बल्कि उसकी विधिजम्मेदारी भी है। सरकार गलत करे तो विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए। संसद में बहस होनी चाहिए। जनता के बीच वैकल्पिक दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब विरोध का आधार केवल यह रह जाए कि फैसला सरकार ने किया है। यदि कोई निर्णय सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में है, तो केवल इसलिए उसका विरोध नहीं किया जा सकता कि उसे विरोधी दल की सरकार ने लिया है। इसी प्रकार यदि सरकार कोई गलत निर्णय लेती है, तो केवल इसलिए उसका समर्थन नहीं किया जा सकता कि वह अपनी पार्टी की सरकार है। राष्ट्रीय को दलहित से

ऊपर रखने की कसौटी यहीं से शुरू हो सकती है। वंदेमातरम के मामले में हमें सस्पेंसेर अर्थिक चिंता इस बात की जाँच-पड़ताल चाहिए कि कहीं राष्ट्रीय भावना राजनीतिक धुंधीकरण की शिकार न हो रही जाए। भाजपा के लिए यह राफ़्ट का प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस इसे ऐतिहासिक संदर्भों पर, संवैधानिकता और सामाजिकसमावेशिता के संदर्भ में देख सकता है। अन्य दलों के अपने दृष्टिकोण को छोड़ सकते हैं। लेकिन आम भारतीय के लिए वंदेमातरम इन राजनीतिक विषयबस्तियों से कहीं बड़ा है। एक किसान के लिए राफ़्ट उसकी मिट्टी है। एकैनिक के लिए राफ़्ट उसकी मातृभूमि है। एक विद्यार्थी के लिए राफ़्ट उसके समानों का भविष्य है। एक श्रमिक के लिए राफ़्ट उसकी पहचान का मैदान है। एक नागरिक के लिए राफ़्ट उसके अधिकारों और कर्तव्यों का साझा घर है। इसलिए राफ़्ट की प्रतीकों को राजनीतिक जिम्मेदारियों से बाहर आना सही दलों की ज़रूरत है। लोकपाल का उत्तरदायित्व है कि हाँ। संसद जनता की मूल्य संवेदनशीलता बनाए रखे।

आज के समय में राष्ट्रवाद का मतलब है कि हमें अपनी संस्कृति और इच्छा का प्रतिनिधि स्थापित करना है। वह बनाए गए कानूनों और लिए गए निर्णयों पर बहस, आलोचना

और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था संविधान ने स्वयं दी है। लेकिन संविधि के कानून या नियम का विरोध करना लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है। इसी प्रकार संसद के सदस्यों की यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत का अर्थ निरंकुशता नहीं है। सरकार के पास संख्या बल हो सकता है, लेकिन विपक्ष की आवाज को लोकतंत्र का अविनाश हिस्सा है। लोकतंत्र को विनम्रता चाहिए और विपक्ष को जिम्मेदारी। राजनीति में सबसे बड़ा भ्रम इसी को स्थानीय समझ लेना है। इतिहास गवाह है कि कोई भी संसद हमेशा नहीं रहती है। आज जो दल संसद में है, कल विपक्ष में हो सकता है। आज जो विपक्ष में है, कल सरकार बना सकता है। इसलिए संसद के सदस्यों के दलों को अपने वर्तमान प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए। यदि आज संसद पक्ष के विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हर संभव वैधानिक परंपरा को अपने हित में मोड़ता है, तो कल वही परंपरा उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। लोकतंत्र आज विपक्ष सरकार के हर निर्णय के विरोध करने की आवाज के कारणों से विरोध करता है, तो कल संसद में आने पर उसे भी उसी राजनीतिक संस्कृति का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में किया गया नैतिक कर्म भविष्य में मिसाल बनता है।

इतिहास को लेकर राजनीति में अफसोस आसान है, लेकिन इतिहास को सीख लेना कठिन। वंदेमातरम का इतिहास बताता है कि राष्ट्रीयता की लोभों को जोड़ने की क्षमता देखी रहती है और समाज में विविध भाषाभाषी का सम्मान आवश्यक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वंदेमातरम को लेकर विवाद को राजनीतिक जीत-हार का प्रश्न न बनाया जाए। न भाषाओं को यह मानना चाहिए कि राष्ट्रवाद पर अंधा कानूना एकधिकार है और न कांग्रेस को यह भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की साक्षात् वेग्राहक है। राष्ट्रवाद केवल नारा नाना में नहीं है। राष्ट्रवाद संविधान का सम्मान करने में है। कानून का सम्मान करने में है। कर चुकाने में है। कमजोर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में है। सैनिकों का सम्मान करने में है। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वृत्तियों के लिए व्यापक व्यवस्था बनाने में है। यह विचार है कि व्यक्ति जो राष्ट्रप्रीति करता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उसको उसका राष्ट्रवाद अंधा है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी होने का कदम लगाता है।

दहेज के दानव ने विवाह जैसे पवित्र संस्कार को बनाया सौदा, बेटी को बोझ और बेटे को नीलामी की वस्तु समझने की मानसिकता बदले

कांतिलाल मांडोत

हू को बेटी का सम्मान मिले, तभी देहव्रत का आग और अत्याचार का अंत होगा। युवाओं के संकेतक और समाज व जागरूकता से ही शुरू होगी कुरीति के विरुद्ध। निर्णायक लड़ाई विवाह के दो व्यक्तियों के संकट नहीं, बल्कि परिवारों और दो जीवनों को जोड़ने वाले पवित्र सामाजिक संस्कार है। शतनाइसों की भूधर ध्वनि, वसमाला, अग्नि के फेरे और जीवनधर समा निधान के संकेतक के साथ दो लोग गृहस्थ जीवन व पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। दुनिया के लगभग सभी समाजों में विवाह व अपनी परंपरा रही हैं। कहें! युवक युवती स्वयं जीवनसाथी चुनते हैं तो कौन परिवार के बड़े-बुजुर्ग उनकी जोड़ी टाट करते हैं। उद्देयण ऐसी ही रहा है कि परिवार और समाज की व्यवस्था बना, पितृव्य और जिम्मेदारी के आधार पर आगे बढ़े लेकिन आज विवाह की यह पवित्र संकेत देह जैसी कुरीति के कारण लगता चोड़िल हो रही है। विवाह कई परिवारों के लिए खुशी का अवसर होने के बजाय आर्थिक चर्चा का कारण बन गया है। लड़के के शिक्षा, संस्कार, योग्यता और व्यक्तित्व से अंधा दृष्ट देखा जाने लगा है कि वह विवाह में किताब धन, कितना सोना, कौन सी बेटा और किताब सोना लेकर आएगा। बेटा जीवनसाथी बनने के बजाय मानों नीलामी की वस्तु बन गया है।

कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति के लिए 'वन्दे मातरम्' कब तक निशाने पर ?



आचार्य अशोक चौधरी प्रियदर्शी

कटिहार, बिहार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कुछ शब्द ऐसे हैं, जो केवल शब्द नहीं होते; वे राष्ट्र की सामूहिक चेतना, संघर्ष, त्याग और स्वाधीनता की आकांक्षा के प्रतीक बन जाते हैं। 'वंदे मातरम्' ऐसा ही एक राष्ट्रीय उद्घोष है। जिस गीत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाली पीढ़ियों में मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव जागाया, वहीं गीत आज स्वतंत्र भारत की राजनीति में फिर विवाद का विषय बन रहा है। प्रश्न केवल इतना नहीं है कि 'वंदे मातरम्' के किन्ते अंतरे गए ज़ाते; असली प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ भी वोट-बैंक की राजनीति होगी और क्या कांग्रेस अपनी पुरानी तुष्टिकरण की राजनीतिक विरासत से आज भी बाहर नहीं निकल पाई है ?

ह प्रसन इसलिए अधिक गंभीर हो है क्योंकि अगस्त २०२६ में कांग्रेस का संसदीय ने फिर अपने पार्टी कार्यक्रमों में ‘वन्दे मातरम्’ के बल पहले दो अंतरे गाणे की १९३७ री परंपरा को जारी रखने का निर्ण ले लिया है। यह निश्चय ऐसे समय आया जब केंद्र सरकार ने आधिकारिक टोटोकाल में गैत के पूर्ण रूप को हटाकर देने की दिशा में कदम उठाया । इतिहास को राजनीतिक सूचना अनुसार पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास के प्रमाँ से बनवाना आसान नहीं है। ‘वन्दे मातरम्’ का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस की कार्यशैली और साम्प्रदायिक राजनीति के समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टांतर है। बिकिटभू चड़ोपाध्याय न ही इन स्थापन से उत्तीर्णी शताब्दि उत्तरार्थ में आकार लिया और योग्य चलकर स्वदेशी अभिवान तथा वतंत्रता संधि में अत्यंत प्रधानवाशी राष्ट्रिय गैत का रूप ग्रहण किया। ८९96 के कांग्रेस अधिवेशन में विवेकानाथ ठाकुुर द्वारा इसके गायन दीर्घ १९05 के स्वाधीनि आंदोलन दौरान इसकी लोकप्रियाता ने इसे राष्ट्रीय प्रतिरोध के प्रतीक के रूप स्थापित कर दिया। भारत सरकारी ‘वन्दे मातरम्’ के 15० वर्ष

वर्षाधीन आधिकारिक विवरण में भी स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। प्रभु १९३७ आया। यही वह वर्ष है जिसे आज कांग्रेस अपने निर्णय के अतीत के आधार के रूप में मानने रीखती है। उस समय कांग्रेस के भीतर यह प्रश्न उठा कि 'वन्दे मातरम्' के सभी अंतर्गतों को राष्ट्रीय राजनीतिक मंचों पर गायना जाए। प्रथमवा उसको कुछ हिस्सों को अलग प्रथमवा जाए। गीत के बाद के अंतर्गतों में प्रथमवा, लक्ष्मी और अन्य हिंदू धार्मिक प्रथमवा के संदर्भ हैं। कुछ मुस्लिम प्रथमवाओं और विद्वानों ने इन अंतर्गतों धार्मिक आपत्ति व्यक्त की। इस प्रथमवा में कांग्रेस कार्यसमिति ने अक्टूबर १९३७ में राष्ट्रीय सभाओं में प्रथमवा: प्रथमवा दो अंतर्गतों के प्रयोग प्रथमवा निर्णय लिया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रथमवा इस विषय पर राय ली गई थी। प्रथमवा से आलोचना का प्रश्न शुरू प्रथमवा है - क्या धार्मिक संवेदनशीलता प्रथमवा सम्मान करना गलत था? नहीं। प्रथमवा जैसे बहुधार्मिक समाज में प्रथमवा समाज की वास्तविक धार्मिक प्रथमवा को समझना लोकतांत्रिक राजनीति का आवश्यक हिस्सा है। प्रथमवा निर्णय प्रथमवा अर्थ यह होना प्रथमवा कि बहुसंख्यक समाज की प्रथमवा वर्षों की सांस्कृतिक चेतना

ते जुड़े किसी राष्ट्रीय प्रतीक को राजनीतिनिति दबाव के कारण सीमित कर दिया जाए? यह प्रश्न आज भी मुरी गंभीरता से पूछा जाना चाहिए। यहीं ‘समावेशी राजनीति’ और संतुष्टिकरण की राजनीति’ के बीच अंतर समाने आता है। समावेशी राजनीति सभी समुदायों को सम्मान देती है; तुष्टिकरण राजनीति किसी समावेशण समुदाय की राजनीतिक राजभाषणी से बचने के लिए अतिरिक्त रणध्यातें देने लगती है। कांग्रेस के आलोचकों का आरोप यही रहा है कि के स्वतंत्रता से पहले और बाद में नेतृत्व की आपत्तियों को संतुष्ट करने के लिए ऐसे राजनीतिक समझौते किए, जिनका दीर्घकालीन समावेशण राष्ट्रीय प्रतीकों और समान नागरिकता की अवधारणा पर पड़ा निहितिका इस विषय पर एक तथ्यात्मक साक्ष्य भी आवश्यक है। एक कदवा ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा कि १९३७ का निर्णय केवल ‘मुस्लिम वोट’ के कारण लेला गया था। उस समय कांग्रेस के भीतर राष्ट्रीय एकाता, साम्प्रदायिक तनाव और भविष्य के स्वतंत्र भारत की बहुलतावादी वास्तविकताओं को लेकर संघर्षना चर्चाएं भी थीं। गांधी और नेहरू

सहित कई नेताओं ने यह माना कि राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिसे विविध समुदाय सहजता से स्वीकार सकें। इसलिए 1937 के निर्णायक संसदीय सत्र के दौरान को केवल एक पंक्ति में 'मुस्लिम लीग' के अत्यधिक सह बना देना। लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उठता ही महत्वपूर्ण है—यदि 1937 की परिस्थिति में लिया गया निर्णय आज भी कांग्रेस के लिए बाध्यकारी राजनीतिक सिद्धांत नहीं है तो क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ 89 वर्षों में बदली ही नहीं हैं? आज भारत 1937 का औपनिवेशिक भारत नहीं है। आज भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान नागरिकों को समानता देता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को समानता देता है, और किसी भी स्वतंत्रता देता उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर दूसरे वर्ग का नागरिक नहीं बनाता। ऐसे में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति दृष्टिकोण भी व्यापक राष्ट्रीय भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि धार्मिक पुराने राजनीतिक समीकरणों पर। यहाँ कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि अतिरिक्त वह 'वन्दे मातरम्' के पहले दो अंतर्गोष्ठों को ही पर्याप्त मानी है तो क्या वह देश को यह समझाने को तैयार है कि वह देश के नागरिकों को तैयार

हे कि शेष अंतरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का हिस्सा नहीं है। यह है? यदि वे ऐतिहासिक रचना का हिस्सा हैं, तो उन्हें केवल राजनीतिकवाचक अस्सुविधा के कारण सावजनिकवाचक स्मृति से दूर रचना करना उचित है। और यदि कांग्रेस का उत्तर यह है कि उसे केवल अपने पार्टी कार्यक्रमों में ऐसा करने का अधिकार है, तो सतर्की रूप से यह बात सीधे ही कह सकती है। किसी राजनीतिक दल के अपने कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस स्वयं की भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी भी मानती है। इसलिए उसके सांस्कृतिक निर्णयों स्वभाविक रूप से सावजनिकवाचक विमर्शों को प्रभावित करते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'वन्दे मातरम्' को संविधान में राष्ट्रगान नहीं बनाया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि 'जन गण मन' राष्ट्रगान होगा और 'वन्दे मातरम्', जिसने स्वतंत्रता संसोधन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे भी समान सम्मान और समान दर्जा दिया जाएगा। यह निर्णय संविधान सभा के अभिलेख में दर्ज है। यानी स्वतंत्र भारत के संस्थापकों

ने 'जन गण मन' और 'वन्दे मातरम्' को परस्पर प्रतिस्पर्धी प्रतीक नहीं बनाया। उन्होंने दोनों को सम्मान दिया। एक राष्ट्रीय गान बना, दूसरा राष्ट्रीय गीत। दोनों को अपनी ऐतिहासिक भूमिका रही। फिर आज समस्या क्या है? समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी वैचारिक सुविधा के अनुसार चुनने लगते हैं। यदि 'वन्दे मातरम्' का सम्मान करना राष्ट्रवाद है तो इसे किसी एक दल की संसक्ति नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि किसी नागरिक को इसके किसी अंश से धार्मिक आपत्ति है तो उसे अपनी अस्थमति रखने का लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए। भारत की शक्ति इसी संतुलन में है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए प्रश्न अलग है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय प्रतीकों को वोट बैंक के गणित से ऊपर रखना चाहिए। यद्यपि कांग्रेस आज भी 1937 के निर्णय को राजनीतिक रूप से दोहरा रही है, तो उसके आलोचकों को याद रखने का पूरा अधिकार है कि क्या यह इतिहास के प्रति प्रतिबद्धता है या उस पुराने तुफिकराने मॉडल के राजनीतिक निरंतरता का कांग्रेस यह भी नहीं भूल सकती।

कि 'वन्दे मातरम्' किसी एक धर्म के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह गीत उस समय राष्ट्रीय प्रतिरोध की भाषा बना जब भारत गुलाम था। उस समय नव सत्ता कांग्रेस के पास थी, न वोटर बैंक की आज की गणित थी। लोगों ने सामाने एक विदेशी शासन था और उसके विरुद्ध राष्ट्रीय अस्मिता का लड़के था। यही कारण है कि आज 'वन्दे मातरम्' को केवल हिंदू-मुस्लिम विवाद के चरम से देखे भी गलत होगा। यह भारत की राष्ट्रीय चेतना के इतिहास का हिस्सा है। सवाल यह भी है कि क्या 'मातृभूमि' के प्रति सम्मान को किसी धर्म की पूजा के बराबर समझना उचित है? क्योंकि व्यक्ति धार्मिक कारणों से किसी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उसका अधिकार अपनाना चाहता है। लेकिन दूसरे नागरिकों के लिए वही अभिव्यक्ति मातृभूमि के प्रति सम्मान का प्रतीक हो सकती है। लोकतंत्र दोनों दृष्टिकोणों के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है। इसलिए 'वन्दे मातरम्' को लेकर राजनीति का रास्ता आदेश या दबाव नहीं होना चाहिए। बल्कि इतिहास और संविधान के संतुलित विवेक का होना चाहिए।



पढ़ाई के साथ-साथ रोज़गार शॉर्ट टर्म कोर्स

रेगुलर कॉलेजों में पढ़ाई के साथ-साथ रोजगारपरक स्किल सिखाने के लिए तरह-तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स हैं। इनमें कोई समाज कार्य से जुड़ा है तो कोई स्वास्थ्य और खेल के क्रियाकलापों से। कोई शैक्षिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने की ट्रेनिंग देता है तो कोई समाज में भूले-भटके और दिशाहीन लोगों को राह दिखाने की। तीन माह की अवधि वाले ये सर्टिफिकेट कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों से लैस हैं।

ट्रैवल एंड टूरिज्म



इसमें छात्रों को टूरिज्म को प्रमोट करने की गतिविधियों में भाग लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। मसलन टूरिस्टों के लिए टिकटिंग की व्यवस्था हो

या उन्हें दर्शनीय स्थलों पर ले जाने में गाइड करने की, उन्हें ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देने का सवाल हो या वहां की खासियत बताने का, ये सब चीजें इस कोर्स का हिस्सा हैं।

काउंसलिंग एंड गाइडेंस

यह कोर्स छात्रों को करियर की राह में मार्गदर्शक बनने की ट्रेनिंग देता है। शिक्षा का क्षेत्र हो या खेलकूद, मनोविज्ञान का मामला हो या वोकेशनल ट्रेनिंग का, आज हर जगह काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें छात्रों को एक



दक्ष परामर्शदाता बनने का हुनर सिखाया जाता है। यूजीसी ने 11वें प्लान में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में करियर एंड काउंसलिंग सेंटर खोलने की योजना तैयार की है। इस तरह के सेंटर पर काउंसलिंग के लिए ऐसे युवाओं की ज़रूरत रहेगी।

वोलंटियर मैनेजमेंट



यह कोर्स सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने वाले वोलंटियर्स को तैयार करता है। आज देश से लेकर विदेश तक तरह-तरह की संस्थाएं चल रही हैं। उन्हें

अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम देने के लिए फीलड में काफी संख्या में वोलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उन्हें ऐसे युवाओं की आवश्यकता होती है, जो इस कार्य में दक्ष हों। वोलंटियर मैनेजमेंट ऐसे ही छात्रों को तैयार करता है। वोलंटियर क्या है। उसका रोल क्या है। अपने कार्यों को किस ढंग से अंजाम तक पहुंचाना है, ये चीजें इस कोर्स में बताई जाती हैं।

स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन

यह कोर्स स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में छात्रों को जागरूक करता है। खेलकूद के दौरान फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कैसे मददगार बनें, इसकी ट्रेनिंग इस कोर्स के तहत दी जाती है। विभाग के शिक्षक डॉ. राजेश ने बताया कि पैरामेडिकल वर्कर के रूप में काम करने के लिए यह कोर्स युवाओं को तैयार करता है। इसमें छात्र डॉक्टर नहीं, बल्कि उसके हेल्पर के रूप में काम करते हैं। चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम हो या कोई और नेशनल गेम, ऐसे वर्कों की सदा ज़रूरत पड़ती है।



स्पोर्ट्स एंड साइंस जर्नलिज्म



यह कोर्स पत्रकारिता के अंतर्गत स्पोर्ट्सलाइज्ड यानी किसी विशेष क्षेत्र में जाने की आधारभूत ट्रेनिंग देता है। छात्रों को इस क्षेत्र में कैसे काम करना है, कैसे अपनी पहचान बनानी है और इसके लिए क्या-क्या तरीक़ों अपनानी हैं, इसकी जानकारी प्रदान करता है।

दाखिले की प्रक्रिया

कोर्स में आवेदन 12वीं पास कोई भी छात्र कर सकता है। आवेदन के बाद छात्रों का साक्षात्कार लिया जाता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट में 80 प्रतिशत एकेडमिक प्रदर्शन और 20 प्रतिशत साक्षात्कार का होता है। इसके बाद तय सीटों के मुताबिक लिस्ट तैयार की जाती है।



सेवा और समर्पण का पेशा नर्सिंग

नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा ऐसा पेशा है, जिसमें व्यक्तियों, परिवारों या यूं कहें कि समुदायों की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की जाती है, ताकि जब तक जीवन है, उसे भरपूर जिया जा सके। न केवल किसी भी अस्पताल की, बल्कि समाज की अनिवार्यता है नर्सिंग। सेवा जब शीर्ष पर पहुंचती है तो नर्सिंग का रूप ले लेती है। वैसे भी नर्स होना समर्पण की एक गाथा है, जिसमें जीवन का संगीत बजता है।



पढ़ाई व पात्रता

भारत में कई नर्सिंग स्कूल हैं, जो डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करा रहे हैं। इनके अलावा, मिडवाइफरी कोर्स भी चलाए जाते हैं।

बीएससी नर्सिंग

पात्रता – जीव विज्ञान, भौतिकी व रसायन विज्ञान के साथ 12वीं उत्तीर्ण, कोर्स अवधि – 3 से 4 वर्ष इसमें दाखिला लेने वालों को नर्सिंग, प्राथमिक उपचार और मिडवाइफरी के बारे में मूलभूत जानकारी दी जाती है। इन्हें सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

एमएससी नर्सिंग

पात्रता – बीएससी नर्सिंग, कोर्स अवधि – 2 वर्ष जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पात्रता – जीव विज्ञान, भौतिकी व रसायन विज्ञान के साथ 12वीं उत्तीर्ण, कोर्स अवधि – 3 1/2 वर्ष इस प्रोग्राम को करने वाली नर्स हेल्थ टीम की सदस्य के रूप में काम करती हैं और अस्पतालों व ऐसे स्थानों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सहायक नर्स मिडवाइफ/ हेल्थ वर्कर (एएनएम)

पात्रता – 10वीं उत्तीर्ण, कोर्स अवधि – 18 महीने एएनएम कोर्स में इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि ग्रामीण इलाकों के मरीजों खासतौर पर बच्चों, महिलाओं व बुढ़ों की देखभाल कैसे करनी है।

कैसा है यह प्रोफेशन

नर्सिंग का अधिकार एक सामाजिक अनुबंध के तहत मिलता है, जो पेशेवर अधिकारों व उत्तरदायित्वों का वर्णन करता है। लगभग सभी देशों में नर्सिंग प्रैक्टिस कानून से परिभाषित और नियंत्रित होती है और इस पेशे में शामिल होने को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर रेगुलेट किया जाता है। नर्सिंग समुदाय का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सबको उच्च कोटि की देखरेख मिले और इसके साथ ही सभी मानकों, दक्षताओं व इनसे जुड़ी आचार संहिता इत्यादि का पालन हो सके। एक प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए शिक्षा के कई रास्ते हैं, लेकिन सबको नर्सिंग सिद्धांत और व्यवहार पढ़ना पड़ता है तथा क्लिनिकल स्किल्स में प्रशिक्षण लेना ही पड़ता है। नर्स हर उस व्यक्ति की देखरेख करती है, जिसे इसकी ज़रूरत है, चाहे वह किसी भी उम्र और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का क्यों न हो। इस प्रोफेशन में शारीरिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नर्सिंग सिद्धांत और प्रौद्योगिकी का समावेश होता है।

काम का माहौल

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज प्रशिक्षित नर्सों की कमी है। इस कमी की एक वजह यह बताई जाती है कि जिस वातावरण या माहौल में नर्सें काम करती

हैं, वह ठीक नहीं है। हाल के एक समीक्षा पत्र में यह दर्शाया गया है कि नर्सों के काम करने की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। पत्र कहता है कि समय रूप से नर्सिंग के काम में काफी अधिक काम इनके जिम्मे है, क्योंकि नर्सों की कमी है। एक नर्स को कई मरीजों को देखना पड़ता है और कई काम करने पड़ते हैं। इसके साथ समुचित रोशनी नहीं होती, डॉक्टरों की लिखावट पढ़ने में समस्या आती है। काम के घंटे काफी लंबे होते हैं। इन सबके बावजूद नर्सों को मरीजों की देखभाल का जिम्मा उठाना पड़ता है और वे उठा रही हैं। इस पेशे की पवित्रता तो इसी से बनती है कि हर हाल में बीमार की केयर करनी है और जिनमें सेवा भाव का अतिरेक है, वे बिना किसी शिकायत इसे करती हैं और कर रही हैं। अस्पताल या नर्सिंग होम भी आज अच्छे बनने लगे हैं। सुविधाएं भी बढ़ रही हैं।

नौकरी के अवसर एवं करियर विकल्प

नर्सिंग से संबंधित इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद निम्नलिखित जगहों पर नौकरी मिल सकती है – अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं स्वास्थ्य विभाग, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम, सेना, स्कूल, इंडस्ट्रियल हाउसेज एवं फैक्ट्रीज, रेलवे एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मेडिकल विभाग

प्रशिक्षण संस्थान

हॉस्पिटल नर्सिंग

आज सबसे अधिक नर्स अस्पतालों में ही काम करती हैं। इन्हें किसी भी क्षेत्र विशेष में कार्य करना पड़ता है जैसे सजरी, मेटरनिटी, इन्टेंसिव केयर, पेंडिएट्रिक्स, रिहैबिलिटेशन इत्यादि।

पब्लिक हेल्थ नर्सिंग

इसके तहत नर्सें किसी भी सरकारी या निजी क्लिनिकों में, शहरी व ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य विभागों में काम करती हैं और स्थानीय आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ये व्यक्तियों, परिवारों व अन्य समूहों को स्वास्थ्य शिक्षा, रोगों की रोकथाम, पोषण और शिशु की देखभाल संबंधी निर्देश देती हैं।

मिलिटरी नर्सिंग

सेना के जवानों को चिकित्सा सेवा प्रदान करती है।

शिक्षा

इसमें नर्सिंग के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना होता है।

इंडस्ट्रियल नर्सिंग/ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग

ये औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े चिकित्सकों के साथ काम करती हैं और कामगारों को उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की भी देखरेख करती हैं। किसी दुर्घटना के समय इनकी बहुत ज़रूरत होती है।

साइकिएट्रिक नर्सिंग

ऐसी नर्सिंग में मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल करनी होती है। इस काम में काफी धैर्य व समर्पण की ज़रूरत होती है। इसमें मनोचिकित्सकों व अन्य विशेषज्ञों के साथ काम करना होता है।

पेंडिएट्रिक नर्सिंग

यह बीमार बच्चों की मां की तरह देखभाल का क्षेत्र है।

ऑर्थोपेडिक नर्सिंग

इसमें फिजियोथेरेपी और पुनर्वास संबंधी कार्य करने होते हैं।

वेतन

नर्सों का वेतन उनके सीनियर होने के साथ-साथ बढ़ता जाता है। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों को 35,000 रुपये प्रतिमही मिलता है, जबकि निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में काम करने वाली नर्सों को 10,000 से 12,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। मिडवाइफ को 4,000 रुपये मिलते हैं और हेल्थ वर्कर्स को 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।

कंप्यूटर ग्राफिक्स का है ज़माना



आज हर घर में अपनी जगह बना चुका कंप्यूटर शायद इतना उपयोगी और लोकप्रिय नहीं हो पाता यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में इतने सारे नए प्रयोग देखने को नहीं मिले होते। यह टॉपिक कंप्यूटर कोर्सज का भी एक अहम हिस्सा होता है और करियर के लिहाज से भी यह हॉट चॉइस रहता है। एक से बढ़ कर एक कंप्यूटर गेम्स के रोमांच का मजा लेने से लेकर कंप्यूटर पर एनिमेटेड मूवीज़ का लुक उठाना इतना मजेदार और आसान नहीं

होता यदि ग्राफिक्स में दिन प्रतिदिन नई हलचलें नहीं मचती। आजकल सभी सॉफ्टवेयर जीयूआई आधारित होते हैं जिस कारण इन्हें उपयोग करना काफी आसान हो जाता है। इंटरफेस के रूप में यहां मेन्यू, आइकॉन आदि का उपयोग किया जाता है, जो काफी सुविधाजनक और फास्ट होता है। वास्तव में यह सब ग्राफिक्स का ही तो खेल होता है। कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाने वाले ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाते हैं। इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि कंप्यूटर द्वारा इमेज डाटा को जब रिप्रजेंट और मैनिपुलेट किया जाए तो उसे ग्राफिक्स कहते हैं। एनिमेशन, मूवीज़, गेम्स इंडस्ट्रीज आदि में इसका खूब प्रभाव पड़ा है। कंप्यूटर द्वारा जब डाटा का पिक्चोरियल रिप्रजेंटेशन और मैनिपुलेशन किया जाता है तो उसे हम ग्राफिक्स कह सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है, जिसके अंतर्गत हम विजुअल कंटेंट को मैनिपुलेट और डिजिटली सिनथेसाइजिंग करने के विधि के बारे में पढ़ते हैं। एनिमेशन भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत ही आता है। एनिमेशन वास्तव में कंप्यूटर की सहायता से मूविंग इमेज (चलती-फिरती पिक्चर) बनाने की कला है। आपको राज की बात बताते हैं कि जब भी आप ऐसे एनिमेटेड इमेज देखें तो यह मत सोचिए कि वास्तव में यह चलती-फिरती इमेज है। दरअसल होता यह है कि जब स्क्रीन पर

कोई इमेज दिखती है तो बहुत जल्द उसी तरह की दूसरी इमेज पहले वाले इमेज को रिप्लेस करती रहती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि हम समझ बैठते हैं कि इमेज मूवमेंट कर रही है, जबकि वास्तव में एक इमेज दूसरे इमेज को इसके थोड़े आगे-आगे रिप्लेस करती रहती है।

एप्लीकेशन एरिया

एजुकेशन, साइमुलेशन, ग्राफ रिप्रजेंटेशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इंडस्ट्री, आर्ट, एंटरटेनमेंट आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ग्राफिक्स का बोलबाला है। कंप्यूटर-एडेड डिजाइन द्वारा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में ग्राफिक्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है। फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट एप्लीकेशंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेलीविजन शोज़, म्यूज़िक वीडियो, मोशन पिक्चर्स आदि में भी ग्राफिक्स का ही कमला रहता है।

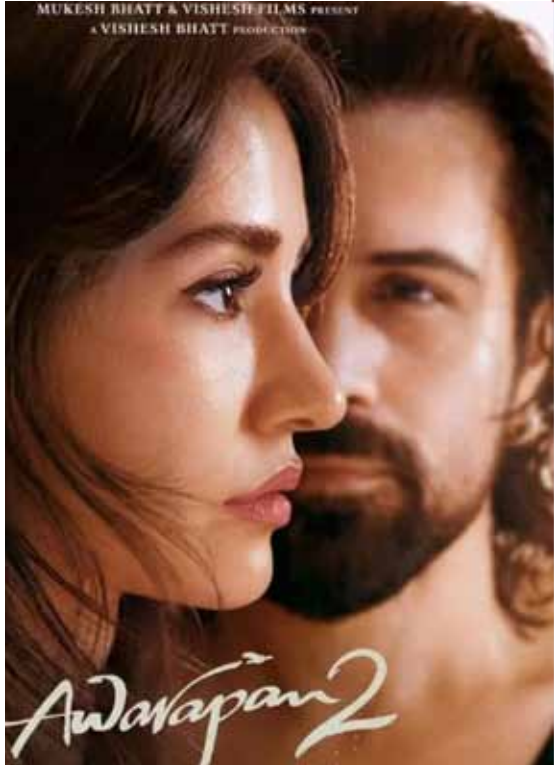
ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर

ग्राफिक्स के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर को आमतौर पर दो भागों में रखा जाता है—जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज और स्पेशल परपज एप्लीकेशंस पैकेज। जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज सॉफ्टवेयर में कई ग्राफिक्स फंक्शंस होते हैं, जो हाई-लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में उपयोग किए जाते हैं। इन फंक्शंस द्वारा पिक्चर कंपोनेंट्स डिजाइन किए जाते हैं। स्पेशल एप्लीकेशंस पैकेज आमतौर पर उनके लिए हैं, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट तो नहीं होते, फिर भी डिस्पले जेनरेंट कर सकते हैं।

आवारापन 2 ने तोड़ा वेलकम टू द जंगल का रिकॉर्ड

14 अगस्त को रिलीज हुई आवारापन 2 इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। वीकेंड पर शानदार कलेक्शन करने के बाद, इसकी कमाई में 11वें दिन बेशक मंदी देखी गई, लेकिन इसने अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का लाइफ्टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ इमरान की फिल्म 2026 की शीर्ष-5 सबसे कमाऊ फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है। आइए देखें फिल्म का ताजा कलेक्शन कितना रहा है। सैकनिलक के मुताबिक, आवारापन 2 ने दूसरे हफ्ते में 11वें दिन (सोमवार) 2.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके बाद फिल्म का घरेलू स्तर पर कलेक्शन 139 करोड़ रुपये और ग्रांस कलेक्शन 165.75 करोड़ रुपये हो गया है। विश्व स्तर पर इसने अब तक 196.55 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में दाखिल

होगी। नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी हैं। कुल 139 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ, आवारापन 2 ने अक्षय की वेलकम टू द जंगल (137.93 करोड़ रुपये) के लाइफ्टाइम कलेक्शन को मात दे डाली है। इसने 2026 की शीर्ष-5 सर्वाधिक कमाई वाली हिंदी फिल्मों में अपनी जगह कायम की है, जिनमें पहले से धुरंधर 2 (1,186.32 करोड़), बॉर्डर 2 (362.76 करोड़), भूत बंगला (199.23 करोड़) और धमाल 4 (177.91 करोड़) मौजूद हैं। बता दें कि आवारापन 2 का पहला भाग इसी नाम से 2007 में आया था।



रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 2 में नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, टीम ने की पुष्टि

रणबीर कपूर की आगामी फिल्मों में ब्रह्मास्त्र 2 भी शामिल है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट्स में कहा गया कि दीपिका पादुकोण इस परियोजना का हिस्सा हो सकती हैं। उन्हें फिल्म में अमृता की भूमिका के लिए लेने का विचार चल रहा है। हालांकि, इन अटकलों और फैस के उत्साह पर पानी फिर गया है, क्योंकि अभिनेत्री फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर दीपिका की टीम द्वारा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका के प्रवक्ता ने ब्रह्मास्त्र 2 में उनकी कथित कास्टिंग को लेकर चल रही अफवाहों को सिर से खारिज किया है। उन्होंने कहा, दीपिका पादुकोण के ब्रह्मास्त्र 2 का हिस्सा होने या किसी भी रूप में इस परियोजना से जुड़े होने की सभी हालिया खबरें असत्य



हैं। उनके कथन ने अटकलों पर विराम लगा दिया, लेकिन उन लोगों को झटका दिया है, जो दीपिका और रणबीर को पर्दे पर एक साथ देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे। खबर है कि सैयारा अभिनेत्री अनीत पड्डा से फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने कहा, अनीत को ब्रह्मास्त्र 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया गया है। बातचीत चल रही है, लेकिन 9अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। बता दें कि रणबीर अभिनीत ब्रह्मास्त्र 2 में आलिया भट्ट भी अपने किरदार में वापसी करेंगी। शूटिंग 2027 के मध्य में शुरू हो सकती है।

‘ब्रह्मास्त्र 2’ में अनीत पड्डा की एंट्री की चर्चा से बॉलीवुड में मची हलचल, नई जोड़ी पर टिकीं नजरें

नि निर्देशक अयान मुखर्जी की फैंटेसी-एडवेंचर फ्रैंचाइजी ‘ब्रह्मास्त्र’ की अगली किस्त को लेकर सिनेमा गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की सुपरहिट फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा’ के बाद से ही इसके सीक्वल ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट टू: देव’ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर सामने आई ताजा खबरों ने फैंस के बीच एक नया उत्साह और उत्सुकता भर दी है। फिल्म में ‘अमृता’ के दमदार किरदार को लेकर लंबे समय से बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों के नामों पर चर्चा चल रही थी। हालांकि, अब इस भूमिका और कास्टिंग से जुड़े नए समीकरण सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा युवा अभिनेत्री अनीत पड्डा को लेकर हो रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने अनीत को ‘ब्रह्मास्त्र

2’ में एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावकारी किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया है। यद्यपि अनीत की टीम और मेकर्स के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है और आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, फिर भी इस खबर ने उद्योग में एक नई बहस छेड़ दी है। अनीत पड्डा की इस संभावित एंट्री को लेकर फिल्म समीक्षकों का मानना है कि अयान मुखर्जी इस बार अपनी स्टारकास्ट में एक नया और ताजा चेहरा जोड़ना चाहते हैं। अयान की फिल्मों की हमेशा यह खासियत रही है कि वे अपनी पटकथा में युवा ऊर्जा और अद्वितीय स्क्रीन प्रेजेंस वाले कलाकारों को जगह देते हैं। यदि अनीत इस प्रोजेक्ट से जुड़ती हैं, तो यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जहां अपने पुराने और लोकप्रिय अवतार (शिवा

और ईशा) में वापस लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वहीं नए किरदारों का समावेश कहानी के दायरा और रहस्य को और बढ़ा देगा। सूत्रों के अनुसार, अयान मुखर्जी फिलहाल फिल्म की पटकथा और प्री-प्रोडक्शन के काम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। दृश्य प्रभावों (VFX) और विशाल सेटिंग्स के कारण इसके निर्माण में लंबा समय लगने की उम्मीद है। फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग 2027 के मध्य तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय सिनेमा की इस सबसे बड़ी फैंटेसी युनिवर्स में नए चेहरों का जुड़ना और कहानी का विस्तार दर्शकों के लिए एक अदभुत और रोमांचक अनुभव लेकर आने वाला है। अब सभी की निगाहें मेकर्स की ओर से आने वाले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं।



हैवान का ट्रेलर जारी, सैफ अली खान का दिखा संघर्ष अक्षय कुमार की हैवाननियत ने उड़ाए होश

अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर हैवान का ट्रेलर आखिरकार आ गया है। प्रियदर्शन डायरेक्टेड यह फिल्म एक डार्क और दिलचस्प थ्रिलर का वादा करती है। ट्रेलर फिल्म की अनप्रिडिक्टेबल दुनिया की एक झलक दिखाता है, साथ ही दोनों लीड एक्टर्स के बीच चूहे-बिल्ली की लड़ाई भी दिखाई जाती है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर हैवान का ट्रेलर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा, टीजर में साया देख चुके हो, अब हैवान से मिलो। ट्रेलर में अक्षय कुमार हैवान के रोल में खूंखार अवतार में दिख रहे हैं, जबकि सैफ अली खान एक अंधे आदमी का रोल कर रहे हैं, जो शायद एक सिंगल फादर है। 2 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में डरावना माहौल दिखाया गया है। इसकी शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो मदद के लिए बेताब होकर रो रहा है और मौत की तरफ धकेले जाने से पहले अपनी जान की भीख मांग रहा है। परेशान करने वाली शुरुआत तुरंत आगे की कहानी का टोन सेट कर देती है। ट्रेलर में आगे सैफ का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका कैरेक्टर सामने आने वाले रहस्य के सेंटर में लगता है। इसके बाद अक्षय एक नेगेटिव रोल में एक डायवने और खतरनाक आदमी के रोल में दिखते हैं। दोनों कैरेक्टर इस खतरनाक गेम में एक-दूसरे से भिड़ते हुए लगते हैं। हैवान के ट्रेलर में जो बात सबसे अलग



है, वह है सैफ का किरदार. एक्टर ने एक अंधे आदमी का रोल किया है, जो अक्षय के साथ एक जानलेवा लड़ाई में फंस जाता है. किरदार की विकलंगता कहानी का एक अहम हिस्सा है, न कि सिर्फ किरदार की कोई पर्सनल खासियत. ट्रेलर में कहानी का ज्यादातर हिस्सा जानबूझकर छिपाकर रखा गया है, लेकिन यह दिखाता है कि शहर में कई मर्डर हो रहे हैं. सैयामी खेर कहानी में एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आती हैं, जो सभी हत्याओं की जांच कर रही हैं. सैफ

के किरदार के शॉट्स के बीच, एक वॉइस-ओवर कहता है, अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना. यह लाइन सैफ के किरदार के आस-पास के रहस्य को एक और परत जोड़ती है और इशारा करती है कि वह शुरू में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है. अक्षय कुमार और सैफ अली खान 17 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. 2008 में आई टशन उनकी आखिरी फिल्म थी. दोनों ने पहले में खिलाड़ी तू अनाड़ी और यह दिल्लगी

(1994), तू चोर में सिपाही (1996) और कीमत (1998) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा, बोमन ईरानी, श्रेया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव, शारिफ हाशमी, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी भी हैं. वेंकट के नाययण और शैलजा देसाई फेन द्वारा केवीएन प्रोडक्शंस और थेसिपयन फिक्स्स के तहत प्रोड्यूस की गई हैवान 11 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

यादों के झरोखों से : केके की आवाज में बसता था हर दिल का अफसाना

भा भारतीय संगीत जगत के उन चुनिंदा गायकों में शामिल कृष्ण कुमार कुन्थ, जिन्हें दुनिया केके के नाम से जानती है, आज भी अपनी आवाज के जरिए करोड़ों श्रोताओं के दिलों में जिंदा हैं। उनकी गायकी में प्रेम, दोस्ती, जुदाई, संघर्ष और जिंदगी के अनगिनत रंग सुनाई देते थे। कॉलेज की यादों से लेकर पहली मोहब्बत तक, केके के गीतों ने एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं को आवाज दी। केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से मलयाली था। उन्होंने सेंट मेरी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में किरोड़ीमल कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से था और कॉलेज के दिनों में वह रॉक बैंड का हिस्सा भी रहे। संगीत की दुनिया में आने से पहले केके ने संघर्ष का दौर देखा। उनके जीवन से जुड़ा एक चर्चित किस्सा यह भी है कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ महीनों तक सेल्समैन की नौकरी की थी। बताया जाता है कि वह जिस लड़की से प्यार करते थे, उसके परिवार को यह भरोसा दिलाने के लिए नौकरी कर रहे थे कि वह कामकाजी हैं। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें एहसास हो गया कि उनका वास्तविक रस्ता संगीत की दुनिया में है। इसके बाद उन्होंने जिंगल गाने और बनाने शुरू किए। उन्हें गायक लेस्ली लुईस के साथ काम करने का अवसर मिला और धीरे-धीरे उनकी आवाज विज्ञापन जगत में पहचानी जाने लगी। बाद में वह मुंबई पहुंचे और हिंदी फिल्म संगीत में अपनी जगह बनाने के लिए संगीतकारों से मिलने लगे। फिल्मों में उन्हें शुरुआती अवसर विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘मायिस’ में मिला, लेकिन व्यापक



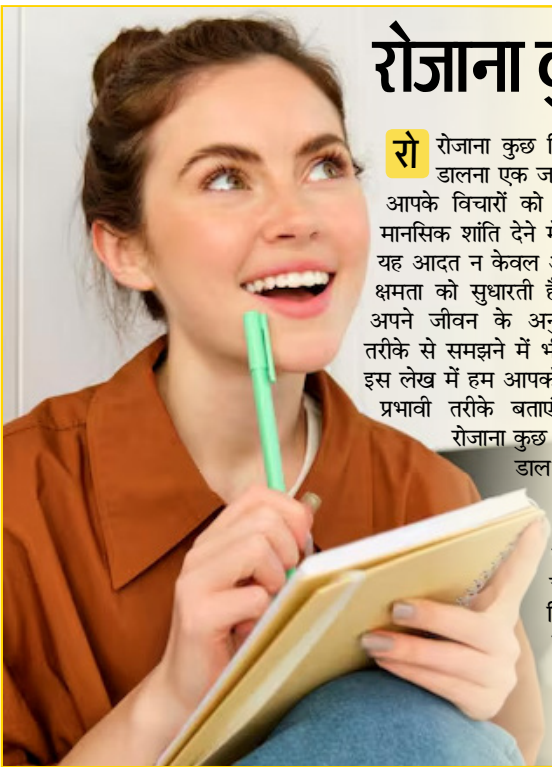
पहचान फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के लोकप्रिय गीत ‘तड़प तड़प’ से हासिल हुई। इसके बाद केके ने अनेक यादगार गीतों को अपनी आवाज दी और हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमिया और गुजराती भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए। 31 मई 2022 को कोलकाता में लाइव प्रस्तुति के बाद उनका निधन हो गया। 53 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने के बावजूद केके की आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के लिए जिंदा है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

ओह माय डॉग को यूएई के सिनेमाघरों में दिखाएंगे निर्देशक अमित राय

निर्देशक अमित राय की फिल्म ओह माय डॉग भारत के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने जा रही है। पंकज त्रिपाठी अभिनीत यह एक भावनात्मक पारिवारिक-ड्रामा है, जिसने 7 अगस्त को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होकर कुल 5.03 करोड़ रुपये कमाए थे। इसका बड़ा कारण टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे का दमदबा और सीमित स्क्रीनस मिलना था। अब यह फिल्म यूएई और मिडिल ईस्ट के सिनेमाघरों में रिलीज दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म समीक्षक तर्ण आदर्श की पोस्ट के मुताबिक, ओह माय डॉग 4 सितंबर, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मिडिल ईस्ट के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं के इस कदम से फिल्म को मध्य पूर्व



के दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। बाबूलाल बिरकोप और थिंकिंग हेट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित, ओह माय डॉग एक बच्चे और कुत्तों के बीच के बेहद खूबसूरत रिश्ते पर आधारित है। फिल्म में पवन मल्होत्रा, माही राय और राजेश कपार भी हैं।



रोजाना कुछ लिखने की आदत आपके लिए होगी बहुत फायदेमंद छोटी-छोटी शुरुआत करें

रो रोजाना कुछ लिखने की आदत डालना एक जरूरी कदम है, जो आपके विचारों को साफ करने और मानसिक शांति देने में मदद करता है। यह आदत न केवल आपके लिखने की क्षमता को सुधारती है, बल्कि आपको अपने जीवन के अनुभवों को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप रोजाना कुछ लिखने की आदत डाल सकते हैं और इसे बनाए रख सकते हैं। सुबह का समय चुनें: लिखने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, जब आपका मन ताजा होता

है और कोई भी काम करने की ऊर्जा भरपूर होती है। सुबह उठते ही नाश्ते से पहले या बाद में कुछ मिनट निकालकर लिखने की आदत डालें। इससे आपका दिन सही दिशा में शुरू होगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। नियमितता से लिखने की आदत डालने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त है। अपने विचारों और अनुभवों को नोट करने के लिए हमेशा एक डायरी अपने पास रखें।

है और कोई भी काम करने की ऊर्जा भरपूर होती है।

सुबह उठते ही नाश्ते से पहले या बाद में कुछ मिनट निकालकर लिखने की आदत डालें। इससे आपका दिन सही दिशा में शुरू होगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। नियमितता से लिखने की आदत डालने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त है। अपने विचारों और अनुभवों को नोट करने के लिए हमेशा एक डायरी अपने पास रखें।

इससे आप कहीं भी, कभी भी अपने विचारों को आसानी से लिख सकते हैं। डायरी का इस्तेमाल करने से आपके पास एक ऐसा स्थान होगा, जहां आप अपने सभी विचारों को एक जगह पर संकलित कर सकते हैं। इसके अलावा यह लिखने की आदत को नियमित बनाए रखने में मदद करेगा। इस तरह से आप लिखने की प्रक्रिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। लिखने के लिए विषय चुनना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको सोचने में मुश्किल

न हो। आप अपने जीवन के अनुभव, यात्रा, किताबें या कोई भी ऐसा विषय चुन सकते हैं, जो आपको पसंद हो। विषय चुनने से आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इसके अलावा एक ही विषय पर लगातार लिखने से आपकी लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप अपने विचारों को साफ तरीके से व्यक्त कर सकेंगे।

खुद पर दबाव न डालें: रोजाना कुछ लिखते समय खुद पर कोई दबाव न डालें कि आपको बहुत अच्छा या लंबा लिखना है। बस अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने दें। इससे आपका लेखन स्वाभाविक रहेगा और आप इसे लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। इसके अलावा खुद पर कोई दबाव डालने से आपकी रचनात्मकता भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए आराम से और बिना किसी चिंता के लिखें, ताकि आप अपनी लिखने की प्रक्रिया का पूरा आनंद ले सकें।

